भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2418

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

24 फाल्गुन, 1944 (शक)

प्रयोक्ता डाटा का उल्लंघन

2418. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत पांच वर्षों के दौरान प्रयोक्ता डाटा के लीक होने और उल्लंघन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) आईआरसीटीसी द्वारा प्राधिकृत रेलयात्री ऐप से हैक किए गए डाटा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डाटा के उल्लंघन के लिए किसी कंपनी के विरुद्ध कोई सिविल/आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) उन सरकारी वेबसाइटों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आंकड़े लीक किए हैं और ऐसे उल्लंघन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) : सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेटसुनिश्चित करना है। इंटरनेट के विस्तार के साथ, अधिक से अधिक भारतीय ऑनलाइन आ रहे है और उत्पन्न, संग्रहीत और संसाधित डेटा की मात्रा में वृद्धि हुई है, डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या भी बढ़ी है।भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच कैलेंडर वर्षों के दौरान डेटा लीक की कुल 47 घटनाएं और डेटा उल्लंघन की 142 घटनाएं दर्ज की गईं है।

सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने, साइबर सुरक्षा की स्थिति को बढ़ाने और इस प्रकार लीक और उल्लंघन के खिलाफ डेटा को सुरक्षित करने के लिए,सरकार ने कई मोर्चों पर कार्य किया है। इस संबंध में की गई कुछ प्रमुख कार्रवाई निम्नानुसार हैं:

(i) सर्ट-इन ने अप्रैल 2022 में धारा 70ख के तहत ऐसी घटनाओं के देखे जाने या संज्ञान में आने के छह घंटे के भीतर सर्ट-इन को साइबर घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्ट करने के लिए निर्देश जारी किए थे।

(ii) सर्ट-इन ने दिसंबर 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र की संस्थाओं के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक विशेष सलाह जारी की, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से देश में सभी अधिकृत चिकित्सा देखभाल संस्थाओं और सेवा प्रदाताओं को इसका प्रसार करने का अनुरोध किया है।

(iii) केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए काम करने वाले आउटसोर्स, संविदात्मक और अस्थायी कर्मचारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा पालन के लिए सितंबर 2022 में साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं को जारी किया गया है।

(iv) सर्ट-इन प्रभावित संगठनों, सेवा प्रदाताओं, संबंधित क्षेत्र के नियामकों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घटना प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करता है। सर्ट-इन प्रभावितसंगठनों को की जानेवाली उपचारात्मक कार्रवाई के साथ सूचित करता है ।

(v) केंद्र/राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों और उनके संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए सर्ट-इन द्वारा तैयार की गई साइबर संकट प्रबंधन योजना साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने में मदद करती है।

(vi) सर्ट-इन सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुरक्षित करने और साइबर हमलों को कम करने के संबंध में नेटवर्क और सिस्टम प्रशासकों और सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2021 और 2022 के दौरान 11,486 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए कुल 42 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(vii) सभी सरकारी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को साइबर सुरक्षा और उनकी होस्टिंग से पहले वेबसाइटों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में ऑडिट किया जाता है।

(viii) सर्ट-इन ने सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन का समर्थन और लेखापरीक्षा करने के लिए 150 सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठनों को सूचीबद्ध किया है।

(ix) सर्ट-इन निरंतर आधार पर कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/सुभेद्यताओं और प्रतिउपायों पर चेतावनी और परामर्शी निदेश जारी करता है।

(x) सर्ट-इन सभी क्षेत्रों के संगठनों के साथ उनके द्वारा सक्रिय रूप से खतरे को कम करने की कार्रवाइयों के लिए सक्रिय रूप से एकत्र करने, विश्लेषण करने और साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर खतरा विनिमय मंच संचालित करता है।

(xi) सर्ट-इन दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने और नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियां और सर्वोत्तम प्रथाएं प्रदान करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र(बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) संचालित करता है।

(xii) डेस्कटॉप और मोबाइल फोन को सुरक्षित रखने और फिशिंग हमलों को रोकने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा युक्तियाँ प्रकाशित की जाती हैं।

(xiii) साइबर सुरक्षा स्थिति और सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की तैयारियों का आकलन करने के लिए साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित किए जा रहे हैं। सर्ट-इन द्वारा इस तरह के 74 अभ्यास आयोजित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के 990 संगठन शामिल हैं।

(xiv) सर्ट-इन ने 8.2.2022 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस और अक्टूबर 2022 में साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और वेबसाइटों पर पोस्टर और वीडियो का उपयोग करके सुरक्षा टिप्स पोस्ट करके नागरिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया।सी-डैक के सहयोग से सर्ट-इन ने माईगव प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो और क्विज़ के माध्यम सेनागरिकों के लिए एक ऑनलाइन जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें सामान्य ऑनलाइन सुरक्षा, सोशल मीडिया जोखिम और सुरक्षा, मोबाइल से संबंधित धोखाधड़ी और सुरक्षा, सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रथाओं आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया।

(xv) सर्ट-इन और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 'सावधान रहें और वित्तीय धोखाधड़ी से अवगत रहें' विषय पर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं।

(xvi) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। सूचना सुरक्षा के बारे में बच्चों, माता-पिता और सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट पुस्तकें, वीडियो और ऑनलाइन सामग्री विकसित की जाती हैं, जिन्हें www.infosecawareness.in और www.csk.gov.in जैसे पोर्टलों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

(ग) और (घ) : भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, रेलयात्री ऐप द्वारा प्राप्त और अनुरक्षित आंकड़ों के लीक होने के संबंध में दिसंबर, 2022 में सर्ट-इन से सूचना प्राप्त होने पर रेलयात्री ऐप पर टिकट बुकिंग सुविधा रोक दी गई थी, उस कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था जो रेलयात्री ऐप की संरक्षक हैऔर आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के बाद ऐप को बहाल कर दिया गया था ।

(ङ) : सर्ट-इन को दी गई सूचना और ट्रैक की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए सरकारी संगठनों से संबंधित डेटा लीक की क्रमश कुल 10, 5 और 7 घटनाओं की सूचना मिली थी। डेटा लीक की घटनाओं को देखने पर,सर्ट-इन प्रभावित संगठनों को किए जाने वाले उपचारात्मक कार्यों के साथ सूचित करता है, और प्रभावित संगठनों, सेवा प्रदाताओं, संबंधित क्षेत्र नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घटना प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करता है।

****